



कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

कं./जन स्वा.वि./2022/उ४

भिलाई, दिनांक 07/04/2022

प्रति,

1. कार्यपालन अभियंता,

जोन कं.—

2. कार्यपालन अभियंता,

77 एम.एल.डी.

नगर पालिक निगम

भिलाई

विषय :- मौसमी एवं जलजनित बीमारियों (उल्टी-दस्त, पीलिया) से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में
किए जाने वाले आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्य।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप सभी को अवगत है कि, उल्टी, दस्त/पीलिया रोग दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से मानव शरीर में संचारित होता है। पीलिया (वायरल हेपेटाइटिस ई) दूषित जल व भोजन से फैलने वाला रोग है। विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 15 से 50 दिनों में इस बीमारी के लक्षण प्रगट होते हैं।

पीलिया का मुख्य लक्षण है भोजन का स्वाद न आना, भूख न लगना, पीले रंग की पेशाब होना, उल्टी लगना या होना, कमजोरी और थकावट लगना, पेट के दाहिने तरफ ऊपर की ओर दर्द होना, आंखों और त्वचा का रंग पीला होगा।

ऐसे जलजनित बीमारियों के रोकथाम हेतु पूर्व से ही सावधानियों बरती जानी आवश्यक है। निगम क्षेत्रान्तर्गत उल्टी, दस्त/पीलिया का संकरण नहीं हो इसके लिए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे :—

1. पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाए :—
- I. जल शोधन संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से किया जाए, नियमित रूप से पानी जॉच हेतु सेम्पल क्वालिटी टेस्टिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- II. जल प्रदाय हेतु निर्मित पानी टंकियों की सफाई कराकर अगली सफाई की तिथि पेंट में अंकित किया जाए।
- III. जल प्रदाय योजना हेतु बिछाई गई पाईप लाईन में यदि लिकेज या टूट-फूट हो तो तत्काल सुधार कराया जाए।
- IV. वाल चेम्बर आदि स्थानों पर पानी का भराव नहीं होने दिया जाए।
- V. सभी बोरवेल के पानी की जॉच करायी जाए एवं पानी उपयोग हेतु उचित नहीं पाये जाने पर बोर से एसेम्बली निकाल कर बोर को वेल्ड कैप से बन्द कर दिया जाए।
- VI. टैंकर से जल प्रदाय की स्थिति में टैंकर की अन्दर से सफाई कराकर रबर पेंट कराया जाए। जल प्रदाय टैंकर को डिस्फेक्शन कर निर्धारित मात्रा में ब्लीचिंग पावडर/सोडियम हाइपो क्लोराईड (लिविचड) डालकर उसे जीवाणु रहित किया जाए।

नलकूप/हैण्ड पम्पों के माध्यम से जल प्रदाय होने पर :—

यदि नलकूप/हैण्ड पम्प/सार्वजनिक एवं निजी कुओं के जल का नमूना यदि दूषित पाया जाता है तो उसमें ब्लीचिंग पावडर/सोडियम हाइपो क्लोराईड निर्धारित मात्रा में डालकर जीवाणु रहित किया जाए। 07 दिन बाद पुनः उसका परीक्षण किया जाए, यदि पुनः जल नमूना दूषित पाया जाता है तो जल नमूना विस्तृत जॉच हेतु प्रयोगशाला में भेजा जाए तथा जल परीक्षण प्राप्त होने तक स्रोत को बंद रखा जाए।

क्रमशः.....

उपरोक्तानुसार गौरागी/जलजनित धीगारियों के रोकथांग रो संवंधित दिए गए निर्देशों का पालन करने एवं करें गए कार्यों का पालन प्रतिवेदन रो अधोहरताक्षरकर्ता को अयगत कराना सुनिश्चित करें। निर्देशों के पालन नहीं होने की दशा में आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.कं./ जन स्वा.वि./४० /2022
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक. २७/०५/२०२२

1. महापौर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर दुर्ग, जिला दुर्ग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अध्यक्ष, (सभापति) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. प्रभारी सदस्य खाद्य लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय दुर्ग को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. उप महाप्रबंधक, नगर सेवाएं विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई को सूचनार्थ।
7. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त I, II नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. लेखाधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
10. शहरी खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शहरी परिवार कल्याण केन्द्र सुपेला भिलाई को सूचनार्थ।
11. शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, नगर पालिक निगम भिलाई परिक्षेत्र को सूचनार्थ।
12. कार्यपालन अभियंता (स्वास्थ्य) नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
13. प्रभारी अधिकारी, वाहन शाखा, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
14. स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
15. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
16. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई